गो.से. अर्थ–वाणिज्य महाविद्यालय (स्वशासी महाविद्यालय), जबलपुर

शिकायत निवारण प्रक्रिया

महाविद्यालय के छात्र व छात्राओं की शिकायतों (महिला उत्पीडन प्रकरणों को छोड़कर) के निवारण की प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. छात्र/छात्रा द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत, (जो कि उनके अध्ययन अध्यापन, छात्र सुविधाओं व अनुशासन से सम्बन्धित हों) महाविद्यालय के प्राचार्य को की जा सकती है। शिकायत पत्र प्रत्यक्ष रूप से प्राचार्य को दे सकते हैं या इसे शिकायत पेटी में डाल सकते हैं। शिकायतकर्त्ता को अपनी पहिचान पत्र शिकायत के साथ प्रस्तुत करनी होगी। शिकायत पेटी प्रत्येक सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस में खोली जायेगी।
2. प्राचार्य को प्रत्यक्ष रूप से दिये गये शिकायत पत्र या शिकायत पेटी में डाले गये शिकायत पत्र छात्र अनुशासन समिति (रैगिंग नियंत्रण समिति) को अग्रेषित कर दिये जायेंगें।
3. छात्र अनुशासन समिति (रैगिंग नियंत्रण समिति) के प्रभारी व सदस्यगण प्राप्त शिकायतों का निराकरण यथाशीघ्र करके निर्णय से शिकायतकर्त्ता को प्राचार्य के माध्यम से अवगत करायेंगें।
4. शिकायत की प्रकृति/स्वरूप को ध्यान में रखते हुये छात्र अनुशासन समिति (रैगिंग नियंत्रण समिति) द्वारा शिकायत के दोनों पक्षकारों को बुलाकर उनसे आवश्यक पूंछतांछ व साक्ष्यों का संकलन करने का अधिकार होगा।
5. दोषी पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही का अधिकार प्राचार्य को होगा।

प्राचार्य
Principal
G.S. College of Commerce & Economics
(Autonomous College)
Jabalpur (M.P.)